(उद्योग विकास विभाग)

अनुसूचित उद्योग (उत्पादन विवरणी प्रस्तुति) नियमावली,1979

(तक संशोधित)

1* सां. आ. 328 (अ) 3 मई, 1979 - जबकि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (जी) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा कुछ नियमों को बनाने के प्रस्ताव के मसौदे को प्रकाशित किया गया था, जैसा कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 16 दिसंबर 1978 की अधिसूचना संख्या सां. आ.13(इ)/30/आईडीआर/78 सहित दिनांक 16 दिसंबर, 1978 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II-खंड 3 उप-खंड (ii) के पृष्ठ 1558 से 1560/9 की धारा की उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित है, द्वारा शासकीय राजपत्र में मसौदा नियमावली के प्रकाशन से 60 दिन की समाप्ति से पूर्व उससे प्रभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां अथवा सुझाव मांगे गए;

और जबकि उक्त राजपत्र को 28 दिसंबर, 1978 को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया था;

और जबकि प्राप्त सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक: (i) इन नियमों को अनुसूचित उद्योग (उत्पादन विवरणी प्रस्तुति) नियमावली,1979 कहा जाएगा।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लागू: ये नियम इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी उद्योगों पर लागू होंगे, सिवाय उन उद्योगों के जो वायुयान, हथियार तथा गोला बारूद के विनिर्माण अथवा उत्पादन का कार्य करा रहे हैं और वे सभी वस्तुएं जिनका उल्लेख उपर्युक्त पहली अनुसूची में शीर्ष "23. वस्त्र (डाई, प्रिंट अथवा अन्यथा संसाधित सहित)" में किया गया है, जो जूट की सुतली और रस्सी सहित पूर्ण रूप से जूट अथवा उसके भाग से निर्मित न की गई हों।

3. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि अन्य किसी संदर्भ में अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65);
(ख) "प्रपत्र" का अर्थ है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र

---

1. भारत के राजपत्र, असाधारण, 1979, भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशित

4. विवरणी प्रस्तुत करना: (1) प्रत्येक उद्योग से संबंधित स्वामी जिन पर यह नियम लागू होते हैं उन्हें एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी-

(क) यदि कोई औद्योगिक उपक्रम तकनीकी विकास महानिदेशालय में दर्ज है और प्रपत्र क में संलग्न मैं विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के विनिर्माण में संलग्न है

(ख) यदि कोई अन्य औद्योगिक उपक्रम तकनीकी विकास महानिदेशालय में दर्ज है, प्रपत्र ख में;

1*[(ग) यदि औद्योगिक उपक्रम लौह और इस्पात नियंत्रक के पास प्रपत्र ग में दर्ज है अथवा लौह और इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दर्ज है;]

(क) लघु इकाइयों के मामले में, प्रपत्र घ में

निम्नलिखित को संबंधित प्रपत्र में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करना-

(i) खंड (क) अथवा (ख) में उल्लिखित मामलों में, तकनीकी विकास महानिदेशालय और ऐसे उद्योग से प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय;

(ii) खंड (ग) में उल्लिखित मामले में, लौह और इस्पात नियंत्रक तथा इस्पात विभाग; और

(iii) खंड (घ) में उल्लिखित मामले में, राज्य निदेशक अथवा उद्योग आयुक्त, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान।

(2) प्रपत्र-ख में प्रत्येक विवरणी निम्नलिखित को प्रस्तुत की जाएगी-

(क) प्रत्येक कोयला खदान इकाई और संयंत्र के संबंध में जहां वह कोयला, हार्ड कोक, सॉफ्ट कोक के विनिर्माण अथवा उत्पादन से जुड़ा हो, कोयला नियंत्रक को;

(ख) वनस्पति के विनिर्माण अथवा उत्पादन के संबंध में, वनस्पति निदेशालय को; और

(ग) चीनी के विनिर्माण अथवा उत्पादन के संबंध में, चीनी निदेशालय को।

(3) उप-नियम (1) में दिए अनुसार किसी माह के संबंध में विवरणी, अगले माह की 15 तारीख समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

बशर्ते कि किसी प्रपत्र में यदि यह दर्शाया गया है की कोई सूचना इस नियम में विनिर्दिष्ट अंतराल के अतिरिक्त अन्य अंतराल पर प्रस्तुत की जानी है, तो ऐसी सूचना को ऐसे अन्य अंतराल पर प्रस्तुत करना होगा।

1* सां. आ. 700 (अ) 29.08.1980 द्वारा प्रतिस्थापित

(4) महानिदेशक, तकनीकी विकास, लौह और इस्पात नियंत्रक तथा उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को प्रस्तुत उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रत्येक विवरणी के साथ, विवरणी प्रस्तुत करने वाले उद्योग के संबंध में उसके स्वामी द्वारा वास्तविक प्रति के रूप में प्रमाणित एक प्रति भी संलग्न करनी होगी।

5. दंड: इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला अधिनियम की धारा 24 के तहत दंड का भागी होगा।